न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 197 / 2020 **दायर दिनांकः 02.12.2020**

उनवान

1. पृथ्वीराज आयु 60 वर्ष पुत्र कंवरलाल जाति लुहार निवासी बेसार तहसील खानुपर जिला झालावाड (राजस्थान)

वादी

बनाम

1. महेश कुमार पुत्र प्रेमनारायण जाति महाजन निवासी अकलेरा तहसील अकलेरा जिला झालावाड (राजस्थान) हालमुकाम बारां रोड खानपुर तहसील खानपुर जिला झालावाड (राजस्थान)।
2. केसरबाई पुत्री नारायण जाति धोबी निवासी नयागावं ठाकरान तहसील खानपुर जिला झालावाड राजस्थान।
3. छोटूलाल पुत्र देवीलाल जाति लोहार निवासी नयागावं ठाकरान तहसील खानपुर जिला झालावाड राजस्थान हालमुकाम कलालो की बगीची के पास खानपुर जिला झालावाड राजस्थान
4. छोटूलाल पुत्र नारायण जाति धोबी निवासी नयागाव ठाकरान तहसील खानपुर जिला झालावाड राजस्थान
5. देवलाल पुत्र भैरूलाल जाति भील निवासी नयागावं ठाकरान तहसील खानपुर जिला झालावाड (राजस्थान)
6. देवीबाई पुत्री भैरूलाल जाति भील निवासी नयांगाव ठाकरान
7. बदामबाई पत्नी भैरुलाल जाति भील निवासी नयागाव ठाकरान
8. बालीबाई पुत्री भैरूलाल जाति भील निवासी नयागाव ठाकरान
9. बिरधीलाल पुत्र नारायण जाति धोबी निवासी नयागाव ठाकरान
10. मांगीबाई पुत्री भैरूलाल जाति भील निवासी नयागांव ठाकरान तहसील खानपुर जिला झालावाड (राजस्थान)।
11. स्टेट आफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां।

प्रतिवादीगण

12. भीमराज पुत्र कंवरलाल जाति लुहार निवासी बेसार तहसील खानपुर जिला झालावाड (राज0)।

तरतीबा प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 183 आर. टी. एक्ट.
वाद बाबत घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :–
वादी :– विद्वान अभिभाषक श्री रामेश्वर प्रसाद गोयल

निर्णय

दिनांक 12/01/2023

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अर्न्तगत धारा 88, 183, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नम्बर 118 रकबा 1.00 हेक्टर, खसरा नम्बर 119 रकबा 0.87 हेक्टर, खसरा नम्बर 120 रकबा 0.97 हेक्टर, खसरा नम्बर 121 रकबा 2.11 हेक्टर, खसरा नम्बर 243 रकबा 0.83 हेक्टर, खसरा नम्बर 244 रकबा 0.99 हेक्टर, खसरा नम्बर 245 रकबा 0.60 हेक्टर व खसरा नम्बर 246 रकबा 0.65 हेक्टर किता 8 कुल रकबा 8.02 हेक्टर माल बारापाटी तहसील अटरू जिला बारां (राजस्थान) में वाके है उपरोक्त आराजीयात मुताबिक जमाबन्दी संख्या 30 सम्वत् 2056 ता 59 मोती पन्ना पुत्र जगन्नाथ, माघो पुत्र मथुरा, चन्दा पुत्र रामनाथ, गोपाल पुत्र भैरू, देवीलाल पुत्र जगन्नाथ जाति लुहार साकिन नयांगाव, घांसी पुत्र पांचू जाति माली, नारायण पुत्र मोतीलाल जाति धोबी एंव भैरू पुत्र गिरधारी जाति भील निवासी नयागांव मजरा बेसार तहसील खानपुर जिला झालावाड (राजस्थान) के खातेदारी थी तथा उन्ही का उपरोक्त आराजीयात पर कब्जा काश्त था, माधो जी भी सहखातेदार थे मोती पन्ना माधो तीनो सगे भाई थे लेकिन माधो के पिता का नाम जगन्नाथ होते हुये भी मथुरा दर्ज हो गया जो काबिले दुरूस्ती है। सहखातेदार माधो पुत्र जगन्नाथ राजस्व रेकार्ड में दर्ज मथुरा भी वादपत्र के मद नम्बर–1 मे वर्णित आराजीयात के सहखातेदार थे माधो पुत्र जगन्नाथ (राजस्व रेकार्ड मे दर्ज मथुरा) जो वादी के दादा था। स्वर्गीय माधो सहखातेदार का खाते से नाम बिना किसी अधिकार व आधार के डिलीट कर दिया। जो विधि विरुद्ध है। सहखातेदार माधो के एक मात्र पुत्र कंवरलाल था दोनों का ही स्वर्गवास हो गया कंवरलाल के सिर्फ दो पुत्र वादी एवं तरतीबा प्रतिवादी है जो मृतक माधो के विधिक वारिस है तथा माधो के स्थान पर अपना नाम दर्ज करा पाने के अधिकारी है इन हालात में वादी इस आशय की घोषणा करा पाने का

अधिकारी है कि वादपत्र के मद नम्बर–1 मे वर्णित आराजीयात के सहखातेदार माधो का इन्तकाल हो गया है। मृतक माधो जी का वंशवृक्ष निम्न है।

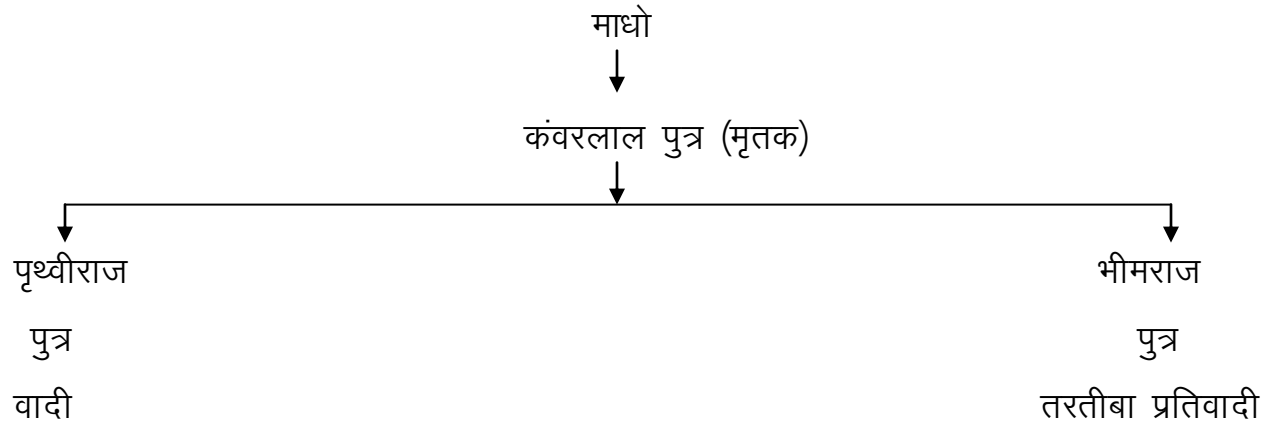

सहखातेदार माधो जी ने अपने हिस्से की आराजीयात के बाबत अन्तरण से संबन्धित तहरीर वो रजिस्टर्ड नही करवायें इन सबके बावजूद भी सहखातेदार माधो का नाम खाते से खारिज कर दिया। राजस्व रेकार्ड मे किसी भी सहखातेदार का नाम डिलीट करने एड करने मोडीफाईड करने या किसी प्रकार का परिवर्तन सिवाय इन्तकाल निर्णित किये बिना संभव भी नही है। माधो के विधिक वारिस वादी एवं तरतीबा प्रतिवादी है तथा माधो के स्थान पर नाम दर्ज करा पाने के अधिकारी है। वर्तमान मे विवादित आराजीयात जमाबन्दी संख्या 25 सम्वत् 2072 ता 75 से खसरा नम्बर 118 रकबा 1.00 हेक्टर, खसरा नम्बर 119 रकबा 0.87 हेक्टर, खसरा नम्बर 120 रकबा 0.97 हेक्टर, खसरा नम्बर 121 रकबा 2.11 हेक्टर, खसरा नम्बर 244 (उत्तर) रकबा 0.13 हेक्टर किता 5 कुल रकबा 5.08 हेक्टर तो प्रतिवादी महेशकुमार पुत्र प्रेमनारायण जाति महाजन निवासी अकलेरा जिला झालावाड राजस्थान के खातेदारी मे है। जबकि जमाबन्दी संख्या 9 सम्वत् 2072 ता 75 से आराजी खसरा नम्बर 243 रकबा 0.83 हेक्टर खसरा नम्बर 245 रकबा 0.60 हेक्टर खसरा नम्बर 246 रकबा 0.65 हेक्टर व खसरा नम्बर 292/244 रकबा 0.86 हेक्टर किता 4 कुल रकबा 2.94 हेक्टर प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 के खातेदारी मे दर्ज है। वादी एवं तरतीबा प्रतिवादी का वादपत्र के मद नम्बर–1 मे वर्णित आराजीयात मे हिस्सा होने से वादी इस आशय की घोषणा करा पाने का अधिकारी है कि उपरोक्त आराजीयात मे वादी को हिस्सा सहखातेदार दर्ज कर उक्त जमाबन्दी को तदानुसार मोडीफाई की जाये। प्रतिवादीगण विवादित आराजी पर वादी के हक हकूक को प्रभावित करने के क्रम में वादी के कब्जे काश्त में व्यवधान भी उत्पन्न करने लगे है प्रतिवादीगण ने वादी को धमकी दी है कि वे वादी के हक

हकूक को प्रभावित कर आराजीयात को अन्तरित भी करेंगे यदि ऐसा हुआ तो वादी अपने हक हकूक से ही महरूम हो जायेगा वादी को ऐसी क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरे नकद नहीं की जा सकेगी। तथा नाखत्म होने वाली मुकदमे बाजी का सिलसिला शुरू हो जावेगा इन हालात मे वादी प्रतिवादी संख्या– 1 ता 10 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा भी हासिल करा पाने का अधिकारी है। वाद कारण प्रथम बार जब वादी के दादा माधो पुत्र जगन्नाथ (जिनका नाम जमाबन्दी संख्या 30 सम्वत् 2056 ता 59 मे माधो पुत्र मथुरा दर्ज हैं) बिना किसी प्रकार के अन्तरण से संबन्धित दस्तावेज के Existence मे आये विवादित आराजी से नाम खारिज कर दिया तथा जमाबन्दी सम्वत् 2060 के बाद से आज पर्यन्त उनका नाम दर्ज ही नही हुआ तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने विवादित आराजी मे माधो के सहखातेदारी की होने के बावजूद माधो का नाम राजस्व रेकार्ड से हटा देने एवं प्रतिवादी संख्या–1 ता 10 द्वारा वादी को विवादित आराजीयात से बेदखल करने की धमकी देने तथा अन्तरण करने का प्रयास करने के परिणाम स्वरूप दिनांक 6–11–2020 को उत्पन्न हुआ लिहाजा यही तिथि बिनाय मुखास्मत दावा हाजा करार दी जाती है। विवादित आराजीयात के भूमिधारी स्टेट ऑफ राजस्थान होने से जये तहसीलदार अटरू के उपरोक्त वाद में उन्हें पक्षकार बनाया गया है वादी ने वाद प्रस्तुति से पूर्व दिनांक 16–11–2020 को एक नोटिस अन्तर्गत धारा 80 सीपीसी का प्रेषित कर दिया है लेकिन प्रतिवादी संख्या– 1 ता 10 विवादित आराजी से वादी को बेदखल करने तथा अन्तरित करने की धमकियाँ दे रहे है इन हालात में यदि प्रेषित नोटिस की अवधि समाप्ति का इन्तजार किया गया तो वादी का वाद प्रस्तुत करने का उद्धेश्य ही विफल हो जायेगा ऐसी सूरत में बिना नोटिस की अवधि समाप्ति के यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है और वाद की प्रस्तुति मे एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) सीपीसी का पेश है। विवादित आराजीयात माल बारापाटी तहसील अटरू जिला बारों राजस्थान में वो है तथा वाद कारण भी विवादित आराजीयात को लेकर उत्पन्न हुआ लिहाजा उक्त वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। वाद का मूल्यांकन व वास्ते चाहने घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूचि के मुजब निर्धारित न्यायशुल्क 2/– प्रस्तुत है। कृषि आराजीयात की घोषणा के वाद मे कोई मियाद निर्धारित नही है फिर भी यह वाद अविलम्ब जानकारी होते ही प्रस्तुत किया जा रहा है। वाद दो प्रतियों में पेश है। सहखातेदार माधो पुत्र जगन्नाथ (राजस्व रेकार्ड मे पिता का नाम मथरा दर्ज) के वादी एंव तरतीबा प्रतिवादी पौत्र है तरतीबा प्रतिवादी वाद प्रस्तुति की तिथि को उपलब्ध न हो जाने से यह वाद

भीमराज को तरतीबा प्रतिवादी मुर्तीब किया जाकर पेश किया जा रहा है और तरतीबा प्रतिवादी के विरूद्ध इस वादपत्र के माध्यम से कोई अनुतोष क्लेम भी नही चाहा गया है।

अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे।

(ए) कि वादपत्र के मद नम्बर–1 मे वर्णित आराजीयात के सहखातेदार माधो पुत्र (मथुरा जिनके पिता का वास्तविक नाम जगन्नाथ है) मृतक जगन्नाथ के वादी एवं तरतीबा प्रतिवादी विधिक वारिस होने से माधो के स्थान पर नाम जमाबन्दी सम्बत् 2056 ता 59 के मुजब राजस्व रेकार्ड मे इसी कदर दर्ज करा पाने तथा वर्तमान जमाबन्दियो मद नम्बर 6 वादपत्र को इसी प्रकार मोडीफाईड किये जाने योग्य है कि वादी एवं तरतीबा भी उक्त आराजीयात मे बतौर सहखातेदार दर्ज हो जावे।

(बी) कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 को जये स्थाई निषेधाज्ञा शाश्वतकाल के लिए पाबन्द फरमाया जावे कि वादपत्र के मद नम्बर–1 मे वर्णित आराजीयात जो हाल मे मद नम्बर 6 मे जमाबन्दियो में दर्ज है को प्रतिवादी संख्या–1 ता 10 कही रहन बेय या अन्य प्रकार से अन्तरित हस्तान्तरित न करे अन्तरण से संबन्धित कोई दस्तावेज तहरीर वो रजिस्टर्ड ना करावे तथा वादी को विवादित आराजीयात से बेदखल न करे ऐसा कुल कार्य न तो प्रतिवादी संख्या–1 ता 10 स्वयं करे ना ही अपने कारिन्दो से करावे ।

(सी) वाद व्यय एवं अन्य न्यायोचित सहायता जो करीने इन्साफ मुफीद वादी हो अता फरमायी जावे

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी क्रम 1 ता 2, 4 ता 10 व 11 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी क्रम 3 की ओर से अभिभाषक श्री नीरज माहेश्वरी उपस्थित हुए। लेकिन बार बार मौका दिये जाने के बावजूद भी जवाब दावा पेश नहीं करने तथा नियत तारीख पेशी पर अनुपस्थित रहने के कारण प्रति0 क्रम 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

3. साक्ष्यवादी के तहत pw 1 पृथ्वीराज पुत्र कंवरलाल जाति लुहार निवासी बैसार तहसील खानपुर जिला झालावाड राजस्थान का शपथपत्र पेश किया गया तथा सशपथ गवाह बयान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्यवादी ने सशपथ बयान किये कि माल बारापाटी तहसील अटरू जिला बारॉ राजस्थान में स्थित आराजी ासरा नम्बर 118 रकबा 1.00 हेक्टर, खसरा नम्बर 119 रकबा 0.87 हेक्टर, खसरा नम्बर 120 रकबा 0.97 हेक्टर, खसरा नम्बर 121 रकबा 2.11 हेक्टर, खसरा नम्बर 243 रकबा 0.83 हेक्टर, खसरा नम्बर 244 रकबा 0.99 हेक्टर, खसरा नम्बर 245 रकबा 0.60 हेक्टर व खसरा नम्बर 246 रकबा 0.65 हेक्टर किता 8 कुल रकबा 8.02 है0 उपरोक्त आराजीयात जमाबंदी सम्वत् 2056 ता 59 मोती पन्ना पुत्र जगन्नाथ, माघो पुत्र मथुरा, चन्दा पुत्र रामनाथ, गोपाल पुत्र भैरू, देवीलाल पुत्र जगन्नाथ जाति लुहार साकिन नयांगाव, घांसी पुत्र पांचू जाति माली, नारायण पुत्र मोतीलाल जाति धोबी एंव भैरू पुत्र गिरधारी जाति भील निवासी नयागांव मजरा बेसार तहसील खानपुर जिला झालावाड (राजस्थान) के खातेदारी थी उक्त आराजी के माधो जी सहखातेदार थे मोती, पन्ना, माधो तीनो सगे भाई थे जिनके पिता का नाम जगन्नाथ था लेकिन राजस्व रेकार्ड में माधो, जगन्नाथ का बेटा होने के बावजूद भी उसे मथुरा का बेटा दर्ज कर दिया जो कतई गलत है मोती पन्ना व माधो तीनो सगे भाई थे जिनके पिता का नाम जगन्नाथ था। लिहाजा पिता जगन्नाथ के स्थान पर मथुरा दर्ज हुआ है खारिज किये जाने योग्य है तथा राजस्व रेकार्ड में मोती पन्ना व माधो पिसरान जगन्नाथ दर्ज किये जाने योग्य है। कंवरलाल जी मेरे पिता थे जिनका स्वर्गवास हो गया है, कवरलाल जी के पिता माधो जी और माधो जी के पिता जगन्नाथ जी थे इस प्रकार मैं खातेदार माधो जी का पोता व कंवरलाल जी का बेटा हूँ। राजस्व रेकार्ड में मेरे दादा माधो के पिता का नाम गलत दर्ज कर दिया है जो काबिल दुरूस्ती है। मैने मेरे पिता कंवरलाल जी व दादा माधो जी ने व परदादा जगन्नाथ जी ने वादपत्र में वर्णित आराजी वाके बारापाटी का बेचान नहीं किया बेचान से संबंधित कोई दस्तावेज तहरीर नहीं कराया, रजिस्ट्री भी नहीं कराई तथा इन सबके बावजूद भी मेरे दादा माधो जी की वल्दियत जगन्नाथ के स्थान पर मथुरा दर्ज करके जो राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन किया है तथा बाद इन्तकाल में जमीने महेशकुमार पुत्र प्रेमनारायण महाजन के नाम दर्ज हुई वह कतई गलत है वर्तमान में भी वादपत्र में वर्णित आराजीयात पर में काबिज हूँ काश्त करता हूँ महेशकुमार व उसके साथी मुझे मेरी ही जमीन से बेदखल करने व राजस्व रेकार्ड का सहारा लेकर कब्जा करने की धमकी देते है राजस्व कर्मचारियो ने गलत रूप से राजस्व रेकार्ड में मेरी खातेदारी भी खत्म कर दी है।

pw 2 घांसीलाल पुत्र श्री गोरधनलाल जाति गुजर निवासी पोटूखेड़ी तहसील खानपुर जिला झालावाड राज0 एवं pw 3 रामस्वरूप पुत्र ग्यारसीलाल जाति कालबेलिया निवासी बहावडा तहसील खानपुर जिला झालावाड का शपथपत्र पेश किया गया तथा सशपथ गवाह बयान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्यवादियों ने सशपथ बयान किया कि मेरा गांव बारापाटी तहसील अटरू के नजदीक है मैने गांव बारापाटी की जमीन कंवरलाल जी को देखी है कंवरलाल जी के दो बेटे पृथ्वीराज व भीमराज है जिनको मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ मैं यह भी जानता हूँ कि पृथ्वीराज के दादा ओर कंवरलाल के पिता माधो जी थे तथा माधो जी के पिता श्री जगन्नाथ जी होने का भी बाखूबी ज्ञान है। पृथ्वीराज वगैराह के घर में खेती के उपकरणो को ठीक करने जाता रहता था इसलिए मुझे इनके परिवारो की पूरी जानकारी है। माधो जी वल्द जगन्नाथ लुहार जो पृथ्वीराज के दादा थे उनके सहखातेदारी की जमीन जो माल बारापाटी तहसील अटरू में है उसे मैने अच्छी तरीके से देखा है। मैने इस परिवार को इस जमीन पर काश्त करते देखा है अभी मैं अभी भी पृथ्वीराज को बारापाटी वाली जमीन पर काश्त करते हुये देख रहा हूँ। मेरे पिता ग्यारसीलाल जी भी माधो जी वल्द जगन्नाथ जी के यहाँ काम करवाने जाते है माधो जी के पिता जगन्नाथ जी ही है उसके पिता का नाम गलत दर्ज करके मथुरा कर दिया है. मुझे तो यह भी याद है कि पृथ्वीराज ने उनकी तीन पीडियो में बारापाटी की जमीन को कतई बेचान नहीं किया और उससे संबंधित कोई दस्तावेज तैयार नहीं किया है।

4. वादी के निवेदन एवं प्रकरण के त्वरित एवं निष्पक्ष निर्णयन के लिए तहसीलदार खानपुर से विवादित आराजी के मूल खातेदार जगन्नाथ लुहार के वारिसान व वादी के पूर्वजों का वंशवृक्ष/सजरा रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार खानपुर द्वारा अपने पत्रांक भू0अ0/2906 दिनांक 06.12.2022 से वारीसान जांच रिपोर्ट व सजरा रिपोर्ट पेश की गई। वंशवृक्ष एवं वारीसान जांच रिपोर्ट अनुसार मूल खातेदार मृतक जगन्नाथ लुहार के वारीसान पन्ना, मोती, माधो, रतन, धन्ना, लक्षमण पुत्रान है। पन्ना पुत्र जगन्नाथ लुहार फौत हो चुके है। मोती पुत्र जगन्नाथ लुहार फौत हो चुका है। माधो पुत्र जगन्नाथ लुहार भी फौत हो चुका है। रतन पुत्र जगन्नाथ लुहार भी फौत हो चुका है। धन्ना लाल पुत्र जगन्नाथ एवं लक्षमण पुत्र जगन्नाथ लुहार भी फौत हो चुके है। माधो पुत्र जगन्नाथ लुहार के एकमात्र पुत्र कंवरलाल भी फौत हो चुके है। कंवरलाल पुत्र माधोलाल के 2 पुत्र–पृथ्वीराज /वादी, भीमराज व एक पुत्री गीताबाई तथा बेवा ग्यारसीबाई (फौत) है। तहसीलदार खानपुर की

वारीसान जांच रिपोर्ट अनुसार बेसार में माधो पुत्र मथरा जाति लुहार नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं था।

5. अभिभाषक वादी की एकतरफा बहस सुनी। अभिभाषक वादी द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि ग्राम व माल बारापाटी तहसील अटरू की जमाबन्दी संवत 2056–69 के अनुसार कृषि आराजी खसरा नम्बर 118, 119, 120, 121, 243, 244, 245 व 246 कुल किता 8 कुल रकबा 8.02 है0 भूमि मोती पुत्र जगन्नाथ लुहार, पन्ना पुत्र जगन्नाथ लुहार, माधो पुत्र मथुरा लुहार, चन्द्रा पुत्र रामनाथ लुहार, गोपाल पुत्र भैरू लुहार, देवीलाल पुत्र जगन्नाथ लुहार, घांसी पुत्र पांचु माली, नारायण पुत्र मांगीलाल धोबी व भैरू पुत्र गिरधारी भील निवासी बेसार तहसील खानपुर के सहखातेदारी में दर्ज थी। उक्तानुसार ही सभी सहखातेदारों का कब्जा काश्त चला आ रहा था। मोती, पन्ना व माधो पुत्रान जगन्नाथ जाति लुहार तीनों सगे भाई है लेकिन राजस्व विभाग के कार्मिकों ने त्रुटिवश राजस्व रिकार्ड में माधो पुत्र जगन्नाथ की जगह माधो पुत्र मथुरा कर दिया जबकि माधो पुत्र मथुरा जाति लुहार नाम का कोई व्यक्ति पुरे गावं में था ही नहीं। माधो पुत्र जगन्नाथ लुहार वादी के दादाजी थे। वादी के परदादा का नाम जगन्नाथ लुहार था। वादी के पिता कंवरलाल की मृत्यु करीब 22 वर्ष पूर्व तथा दादा माधो की मृत्यु करीब 50 वर्ष पूर्व हो चुकी है। अतः राजस्व रिकार्ड में अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 दूरस्ती कर वादी के दादा का नाम माधो पुत्र मथुरा लुहार की जगह माधो पुत्र जगन्नाथ लुहार कर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

अभिभाषक वादी द्वारा आगे कथन किया गया कि उक्त इंतकाल संख्या 46 के बारे में तहसील अटरू से जानकारी ली तो पता चला की पटवारी व ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी आवेदन, मृत्यु प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत बैसार की वारीसान जांच रिपोर्ट, पटवारी पटवार हल्का बैसार की जांच रिपोर्ट आदि के इंतकाल खोला गया। दूसरे पटवार हल्के में निवास करने वाले किसी भी मृतक खातेदार (जिनकी मृत्यु 40–50 वर्षों पूर्व हो चुकी हो) का फौती इंतकाल दर्ज करने से पूर्व आवेदन, मृतको के मृत्यु प्रमाण पत्र, जिस पटवार हल्के में निवासरत है वहां के पटवारी एवं ग्राम पंचायत से वारीसान जांच रिपोर्ट मंगवान आवश्यक है लेकिन तात्कालिन पटवारी बडौरा, भू.अभि. निरी0 कटावर व सरपंच ग्राम पंचायत बडौरा द्वारा बिना किसी दस्तावेज के फर्जी तरीके से इंतकाल खोलकर तस्दीक किया गया। मूल सहखातेदारान– मोती, पन्ना, माधो पुत्रान जगन्नाथ, गोपाल पुत्र भैरू व घांसी पुत्र पांचू –की मृत्यु नामान्तरण संख्या 46 के तस्दीक होने से 40–50 वर्ष पूर्व ही हो चुकी थी।

अभिभाषक वादी द्वारा पुनः तर्क किया गया कि मृतक माधो के एक मात्र पुत्र वादी के पिता कंवरलाल थे जिसकी मृत्यु हो चुकी है। मृतक कंवरलाल के दो पुत्र है जो माधो के अब विधिक वारिसान है और उनके स्थान पर राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज कराने के अधिकारी है। अभिभाषक वादी द्वारा पुनः कथन किया गया कि जमाबंदी संवत 2064–2067 में विवादित आराजी के 5/8 हिस्से पर महेश कुमार पुत्र प्रेमनारायण महाजन सहखातेदार के रूप में दर्ज हुआ था जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अपना खात व हिस्सा पृथक से दर्ज करा चुके है। महेश कुमार पुत्र प्रेमनारायण ने यह आराजी मूल खातेदार मोती पुत्र जगन्नाथ, पन्ना पुत्र जगन्नाथ, माधो पुत्र मथुरा के वारिसान एवं चन्द्रा पुत्र रामनाथ व गोपाल पुत्र भैरू जाति लुहार निवासी बेसार से खरीद किया जाना बताया गया है। वादी के दादा माधो पुत्र जगन्नाथ लुहार के नाम में राजस्व रिकार्ड में हो रखी त्रुटि/अशुद्धि के कारण माधो पुत्र मथुरा जाति लुहार के रूप में फर्जी व्यक्ति खडा कर के राजस्व विभाग के कार्मिकों के सहयोग से धोखाधड़ी करके गैर कानूनी रूप से बेचान कराकर महेश कुमार ने अपने खाते दर्ज करा ली जबकि वादी व वादी के पिता मौके पर कब्जा काश्त चले आ रहे थे। विवादित आराजी में वादी व उसका भाई 1/8 हिस्से के स्वामी व कब्जाधारी होने के बावजूद भी प्रतिवादी क्रम 1 व प्रतिवादी 2 ता 10 वादी को कब्जे काश्त से बेदखल करने पर आमदा है। अतः विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में राजस्व विभाग के कार्मिकों द्वारा की गई त्रुटि को दुरस्त कर माधो पुत्र मथुरा लुहार के स्थान पर माधो पुत्र जगन्नाथ लुहार (वादी के परदादा का नाम मथुरा की जगह जगन्नाथ) दर्ज कर उनके वर्तमान कानूनी वारिसान वादी व तरतीवा प्रतिवादी भीमराज को खातेदार कृषक घोषित किया जावे और प्रतिवादी क्रम 1 ता 10 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा शाश्वत काल के लिए पाबंद फरमाया जावे कि वाद पत्र के मद क्रम 6 में वर्णित आराजी का कहीं रहन, बेचान, दान या अन्य नहीं करें और वादी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल नहीं करें।

6. वादी द्वारा अपने समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य – ग्राम बारापाटी की जमाबंदी संवत 2056–59 प्रदर्श–1, संवत 2060–63 प्रदर्श–2, संवत 2064–67 प्रदर्श–3, संवत 2068–71 प्रदर्श–4, संवत 2072–75 प्रदर्श–5, संवत 2033–36 प्रदर्श–10, भू–प्रबंध विभाग का खसरा सफाई संवत 2013–2032 प्रदर्श–11, जमाबंदी संवत 2003–2006 प्रदर्श–12, जमाबंदी संवत 2017–20 प्रदर्श–13, संवत 2011–14 प्रदर्श–14, संवत 2022–26 प्रदर्श–15, संवत 2025–28 प्रदर्श–16, भू–प्रबंध विभाग की जमाबंदी संवत 2013–32 प्रदर्श–17, जमाबंदी संवत 2008–11 प्रदर्श–18, ग्राम पंचायत बैसार का वारिसान प्रमाण पत्र दिनांक 19.02.2022 प्रदर्श–9, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.08.2003 प्रदर्श–19,

ग्राम बारापाटी का नामांतरण संख्या 46 प्रदर्श–20, नामांतरण संख्या 53 प्रदर्श–21, नामांतरण संख्या 54 प्रदर्श–22 व नामांतरण संख्या 55 प्रदर्श–23, मौखिक साक्ष्य– पी.डब्ल्यू 1, पी.डब्ल्यू 2, व पी.डब्ल्यू 3 तथा निम्न न्यायिक दृष्टांत – (i) Pyarelal Vs Shubhendra pilania (2019) 01 SC ck0120 (ii) Mahendra Kumar Vs. Maya devi 2021 Raj High Court, Jodhpur (iii) vijay singh & ors vs Buddha & ors 2012 (2) DNJ (Raj) 573 Raj High court Jaipur (iv) Modu ram Vs. Board of Revenue 2014 Raj High Court पेश किये गए।

7. अभिभाषक वादी के एकतरफा बहस सुनी गई। बहस के प्रकाश में पेश दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों तथा न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया गया। ग्राम व माल बारापाटी की जमाबंदी संवत 2008–11 से लेकर संवत 2056–59 तक यानी करीब सन् 1951 से 2002 तक विवादित आराजी खसरा नम्बर 118 रकबा 1 है0, खसरा नम्बर 119 रकबा 0.87 है0, खसरा नम्बर 120 रकबा 0.97 है0, खसरा नम्बर 121 रकबा 2.11 है0, खसरा नम्बर 243 रकबा 0.83 है0, खसरा नम्बर 244 रकबा 0.99 है0, खसरा नम्बर 245 रकबा 0.60 है0, खसरा नम्बर 246 रकबा 0.65 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 8.02 है0 भूमि मूल खातेदार मोती पुत्र जगन्नाथ लुहार, पन्ना पुत्र जगन्नाथ लुहार, माधो पुत्र मथुरा लुहार, चन्द्रा पुत्र रामनाथ लुहार, गोपाल पुत्र भैरू लुहार, देवीलाल पुत्र जगन्नाथ लुहार, घांसी पुत्र पांचु माली, नारायण पुत्र मांगीलाल धोबी व भैरू पुत्र गिरधारी भील निवासी बेसार तहसील खानपुर के सहखातेदारी में दर्ज थी। **जमाबंदी संवत 2060–63 में सहखातेदार मोतीलाल, पन्नालाल व माधोलाल पुत्रान जगन्नाथ का फोती नामांतरण संख्या 46 दिनांक 17/05/2003 खोला गया। मोतीलाल के जगह केसरीलाल को एक मात्र वारिसान मानकर फोती इंतकाल खोला गया जबकि मोतीलाल के दो पुत्रियां भी थी। पन्नालाल की जगह घनश्याम को एक मात्र वारिसान मानकर फोती इंतकाल खोला गया जबकि खुद नामांतरण पंजिका में पन्नालाल के सजरे में एक पुत्री घीसीबाई दर्ज कर रखी है। इसी प्रकार माधोलाल के फोती इंतकाल में तीन पुत्र हरलाल, शंकरलाल व बाला मानकर तस्दीक किया गया। इसी नामांतरण पंजिका पर सहखातेदार गोपाल पुत्र भैरू को बिना शादी शुदा लाओलाद फोत होना अंकित कर रखा है। सहखातेदार घासी पुत्र पांचु माली को भी बिना शादी शुदा फोत होना और इनके भाई छीतरलाल को इनका एक मात्र वारिसान बताकर नामांतरण तस्दीक किया गया था। यह इंतकाल तत्कालीन पटवारी रामनारायण यादव द्वारा दिनांक 16.05.2003 को खोला गया जिसे तत्कालीन भू.अभिलेख निरीक्षक कटवार द्वारा**

दिनांक 17.05.2003 को सत्यापित किया गया और तत्कालीन बडौरा सरपंच नटीबाई नागर द्वारा तस्दीक किया गया था। अभिभाषक वादी का यह कथन कि ''उक्त इंतकाल संख्या 46 के बारे में तहसील अटरू से जानकारी ली तो पता चला की पटवारी व ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी आवेदन, मृत्यु प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत बैसार की वारीसान जांच रिपोर्ट, पटवारी पटवार हल्का बैसार की जांच रिपोर्ट आदि के इंतकाल खोला गया। दूसरे पटवार हल्के में निवास करने वाले किसी भी मृतक खातेदार (जिनकी मृत्यु 40–50 वर्षों पूर्व हो चुकी हो) का फौती इंतकाल दर्ज करने से पूर्व आवेदन, मृतको के मृत्यु प्रमाण पत्र, जिस पटवार हल्के में निवासरत है वहां के पटवारी एवं ग्राम पंचायत से वारीसान जांच रिपोर्ट मंगवान आवश्यक है लेकिन तात्कालिन पटवारी बडौरा, भू.अभि. निरी0 कटावर व सरपंच ग्राम पंचायत बडौरा द्वारा बिना किसी दस्तावेज के फर्जी तरीके से इंतकाल खोलकर तस्दीक किया गया''– के संदर्भ में **ग्राम बारापाटी के नामांतरण संख्या 46 के साथ नामान्तरण संख्या 53–55 दिनांक 16.10.2003 का अवलोकन किया गया।** अवलोकन से स्पष्ट है कि सहखातेदार गोपाल पुत्र भैरू ने अपने हिस्से की 1/8 आराजी का बेचान जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रेता महेश कुमार पुत्र प्रेमनारायण महाजन के पक्ष में किया था यानी कि अक्टुबर 2003 में विक्रेता गोपाल पुत्र भैरू जीवित थे जबकि नामांतरण संख्या 46 दिनांक 17.05.2003 की पंजिका में अंकित सजरे में सहखातेदार गोपाल पुत्र भैरू को बिना शादी शुदा लाओलाद फोत होना बताया गया था। यदि सहखातेदार गोपाल पुत्र भैरू मई 2003 से पूर्व ही बिना शादी शुदा लाओलाद फोत हो चुका था तो फिर अक्टुबर 2003 में क्रेता महेश कुमार पुत्र प्रेमनारायण महाजन के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निस्पादित कैसे हुआ ?

पेश नामान्तरण संख्या 46 प्रदर्श 20, नामान्तरण संख्या 53 प्रदर्श 21, नामान्तरण संख्या 54 प्रदर्श 22, व नामान्तरण संख्या 55 प्रदर्श 23 के अवलोकन से स्पष्ट है कि पहले मूल सहखातेदारान मोती, पन्ना पुत्रान जगन्नाथ, माधो पुत्र मथरा, गोपाल पुत्र भैरू व घांसी पुत्र पांचू माली– सभी का एक साथ फौती नामान्तरण मई 2003 में तस्दीक किया गया उसके बाद अगस्त 2003 में इनसे क्रेता महेश कुमार पुत्र प्रेमनारायण द्वारा बैचाननामा करवाया गया और इस सभी बैचान पत्रों के इंतकाल एक ही दिन दिनांक 16.10.2003 को ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किये गये। **फौती नामान्तरण संख्या 46 से एक साथ 5 मूल सहखातेदारों के उनकी मृत्यु के अनेक वर्षों बाद एक साथ इंतकाल तस्दीक करना और प्रथम दृष्टया मृत्यु प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत बैसार के पटवारी की जांच**

रिपोर्ट व वारिसान रिपोर्ट आदि दस्तावेजों के अभाव में इंतकाल तस्दीक करना उक्त नामान्तरण संख्या 46 के कानूनी वैधता और प्रमाणिकता पर संदेह उत्पन्न करता है।

8. वादी द्वारा पेश ग्राम बैसार की विभिन्न जमाबंदीयां संवत 2003 से 2072, ग्राम पंचायत बेसार द्वारा जारी वारीसान प्रमाण पत्र दिनांक 19.02.2022 प्रदर्श–9, कंवरलाल पुत्र माधो जाति लुहार का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 24, वादी के आधार कार्ड एवं साक्ष्य गवाहन पी.डब्ल्यू 1 से पी. डब्ल्यू 3 के सशपथ बयानों के आधार पर प्रथम दृष्टया साबित होता है कि ''कंवरलाल लुहार के पिता का नाम माधो लाल व माता का नाम भंवरबाई था। कंवरलाल लुहार वादी का पिता है। ग्राम बारापाटी की विवादित आराजी के मूल सहखातेदार में से एक माधो पुत्र मथुरा लुहार के नाम में राजस्व कार्मिकों की गलती से त्रुटि हुई है। माधो पुत्र मथुरा लुहार की जगह माधो पुत्र जगन्नाथ लुहार होना चाहिए''। ग्राम पंचायत द्वारा अपने **वारीसान प्रमाण** में उल्लेखित किया है कि मोती, पन्ना व माधो पुत्रान जगन्नाथ लुहार ग्राम पंचायत बेसार के निवासी है और तीनों की मृत्यु हो चुकी है माधो पुत्र जगन्नाथ के बेटे का नाम कंवरलाल लुहार है। कंवरलाल का भी स्वर्गवास हो चुका है कंवरलाल के दो पुत्र पृथ्वीराज एवं भीमराज है। इस संबंध में **तहसीलदार खानपुर** से वादी एवं मूल सहखातेदार पन्ना, मोती पुत्रान जगन्नाथ आदि की वारीसान या वंशवृक्ष रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार खानपुर की वारीसान या **वंशवृक्ष रिपोर्ट** दिनांक 06.12.2022 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत बैसार में माधो पुत्र मथुरा जाति लुहार निवासी नयागावं बैसार नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं था। जगन्नाथ लुहार के कुल 6 पुत्र थे जिनके नाम मोती, पन्ना, माधो, रतन, धन्ना व लक्षमण है। माधो पुत्र जगन्नाथ लुहार के वंशवृक्ष/वारीसान रिपोर्ट के अनुसार इनके एक पुत्र कंवरलाल था जिसकी मृत्यु हो चुकी है। कंवरलाल के 2 पुत्र पृथ्वीराज व भीमराज , एक पुत्री गीताबाई व पत्नी ग्यारसीबाई है। वर्तमान में ग्यारसीबाई फौत हो चुकी है। **अतः राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कर माधो पुत्र मथरा लुहार निवासी बेसार के स्थान पर माधो पुत्र जगन्नाथ लुहार निवासी बेसार किया जाना और माधो पुत्र जगन्नाथ लुहार एवं उनके एक मात्र पुत्र कंवरलाल व बेवा की भी वर्षों पूर्व मृत्यु हो हो जाने से कंवरलाल के स्थान पर उनके वारीसान –पृथ्वीराज, भीमराज व पुत्री गीताबाई को विवादित आराजी में उनके हिस्से व हक तक खातेदार कृषक घोषित किया जाना न्यायोचित है।**

9. ग्राम बारापाटी की उक्त विवादित आराजी नामान्तरण संख्या 46 दिनांक 17.05.2003 से राजस्व रिकार्ड में माधो पुत्र मथुरा लुहार के दर्ज हिस्से 1/8 पर क्रेता महेश कुमार पुत्र प्रेमनारायण जाति महाजन का नाम दर्ज हो चुका है। क्रेता महेश कुमार का नाम रजि0 विक्रय पत्र के

आधार पर दर्ज किया गया है और उक्त विक्रय पत्र प्रथम दृष्टया जालसाजी से फर्जी व्यक्ति–शंकरलाल, हरलाल व बाला –सब रजिस्ट्रार कार्यालय में खडे कर पंजीयन करवाया जाना प्रतीत होता है और ऐसे दस्तावेजों को सक्षम सिविल न्यायालय से खारिज करवाया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति जो कि अभिलिखित खातेदार कृषक नहीं है –को किसी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय से खारिज कराये जाने से पूर्व खातेदार कृषक घोषित किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में वादी द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन व मनन किया गया । प्यारेलाल बनाम सुभेन्द्र प्लानिया 2019 मामले में माननीय सुप्रिम कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया है कि – ''The appellant has prayed that the gift deed dated 10 February, 2011 be declared void to the extent of the share claimed by the appellant and that respondent Nos. 1 to 5 be restrained from alienating the share of the appellant. The civil court may decree the relief prayed only if it is first determined that the appellant is entitled to khatedari rights in the suit property. Under the provisions of the Tenancy Act, the jurisdiction to declare khatedari rights vests exclusively with the revenue courts. Only after such determination may the civil court proceed to decree the relief as prayed. The explanation to Section 207 clarifies that if the cause of action in respect of which relief is sought can be granted only by the revenue court, then it is immaterial that the relief asked from the civil court is greater than, or in addition to or not identical with the relief which the revenue court would have granted. In view of this matter, the civil court may not grant relief until the khatedari rights of the appellant have been decreed by a revenue court. **(Para no. -18)**

"A claimant whose khatedari rights have been decreed by a revenue court is however on a different footing from a claimant whose khatedari rights are pending adjudication by a revenue court. Where the

khatedari rights are yet to be decreed, a claimant must first approach the revenue courts. The 11 relief to declare the gift deed void and to restrain respondents Nos. 1 to 5 from interfering with or alienating the property vesting in a civil court may be sought for in a suit by a claimant in whom khatedari rights have been decreed by a revenue court". (Para no. 19)

"Though the above principles emerge in the context of the bar under Section 331 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, the logic of the judgment extends to the bar under Section 207 read with Section 256 of the of the Tenancy Act. A recorded khatedar stands on a different footing compared to a claimant seeking a decree of their khatedari rights. A claimant seeking a decree of khatedari rights is barred from filing a suit in the civil court prior to their khatedari right being decreed by a revenue court when the relief sought for by the civil court includes a determination of khatedari rights." (Para no. 21)

" In the present case, the High Court has proceeded on the basis that the suit seeking a declaration of the gift deed relating to disputed agricultural land situated in Sikar as void and restraining Respondent Nos. 1 to 5 from transfer or sale of the agricultural land before the civil court is squarely covered by the bar to the jurisdiction of the civil court under the provisions of the Tenancy Act. The claim of the appellant to khatedari rights is pending adjudication by a revenue court which has the exclusive jurisdiction to adjudicate upon such a claim. The appellant has no right to seek relief before the civil court without first getting his khatedari rights decreed by the revenue court." (Para no. 22)

मोडूराम बनाम राजस्व मण्डल 2014 प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर बैंच द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि – "In the backdrop of the position of law settled by various decisions discussed as above, there cannot be any quarrel with the proposition that when in a suit ancillary relief to the main relief sought is for declaration of a sale deed of agriculture land as void ab initio, the suit can always be entertained and tried by the Revenue Court. But then, the exclusive juris- diction of the Revenue Court, in no manner, bars the jurisdiction of civil Court in entertain- ing the suit for cancellation of the sale deed of agriculture land executed by any person with- 4 out there being any title over the property. In other words, the suit regarding the cancellation of the sale deed even in respect of an agriculture land could be exclusively tried by the civil Court." (Para no. 18)

"A bare reading of the conclusions arrived at in various judgments reveals that in all the judg- ments cited, the court was considering as to whether the suit was barred under Section 207 before the civil court. In the present case, the suit has been filed before the Revenue Court and the plea raised is that the suit is barred before the Revenue Court, no provision of law has been cited barring the jurisdiction of the Revenue Court. So far as the provisions of Section 207 are concerned, the same simply bars the jurisdiction of the courts other than Revenue court to take cognizance of the suit and the application of the nature contained in Schedule III.

So far as the plea raised by learned counsel for the petitioner that the jurisdiction to cancel the sale deed is exclusively with the civil court

and therefore, the same is necessarily barred before the Revenue Court, is concerned, the said aspect has been comprehensively dealt with in the case of Jswant Singh (supra) and Rukmani (supra), wherein it has been held that if the sale deed is claimed to be void and/or the cancellation thereof is merely ancillary to the main relief of declaration and partition, the said relief can be granted by the Revenue Court as well and it cannot be said that the jurisdiction of the Revenue Court is affected thereby.

Further interestingly, an important provision contained in the Act i.e Section 242 has to be noticed which mandates that even before the civil court, if the issue pertaining to the tenancy rights if raised/arises, the civil court after framing an issue is required to submit the same to the appropriate Revenue Court for decision of that issue.

A Full Bench of this Court in Badrilal v. Moda: AIR 1979 (Raj.) 142, while considering the provisions of Section 242 of the Act dealt with the procedure to be followed in the suit con- taining two reliefs, one triable by civil court and other by the Revenue Court and opined that as one of the relief relates to the tenancy right, the civil court will have to frame an issue on the plea and submit the record to the appropriate Revenue Court for decision of that issue only and it will be necessary to refer only the issue relating to claim of tenancy right to the Revenue Court otherwise the suit remains with the civil court.

In view of the express provisions of Section 242 of the Act, when admittedly, the relief claimed pertains to declaration of tenancy rights

and partition which relief can be granted by the Revenue Court and as held by this Court in the case of Rukmani (supra) the relief of can- cellation is merely ancillary, it cannot be said that the orders passed by the SDO and the Bord require any interference by this Court". (**Para no. 19**)

10. उक्त प्रकरण के वाद पत्र में पेश रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 01.08.2003 व अन्य की वैधता को न तो चुनौती दी गई है और न ही ऐसा कोई अनुतोष चाहा गया है। केवल बहस के दौरान अभिभाषक वादी द्वारा इस संबंध में कथन किया गया है । अतः उक्त दस्तावेजों की वैधता– Ab-initio-void या void या legal – के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। अतः अभिभाषक वादी द्वारा पेश उक्त न्यायिक दृष्टान्त आंशिकतः उक्त प्रकरण में चस्पा होते है।

11. तहसीलदार खानपुर की वारीसान जांच रिपोर्ट के अनुसार मृतक मूल सहखातेदार माधो पुत्र जगन्नाथ लुहार के एक मात्र वारीस पुत्र कंवरलाल लुहार की भी करीब 22 वर्षों मृत्यु हो चुकी है और मृतक कंवरलाल पुत्र माधो लुहार के दो पुत्र पृथ्वीराज, भीमराज एवं एक पुत्री गीताबाई है। वादी ने भी वाद पत्र के मद क्रम 3 में मृतक कंवरलाल के 2 पुत्र वादी व तरतीबा प्रतिवादी अंकित किये है। ग्राम पंचायत बेसार की वारीसान रिपोर्ट प्रदर्श 9 में भी मृतक कंवरलाल पुत्र माधो के 2 पुत्र पृथ्वीराज व भीमराज प्रमाणित किये गये है। अतः स्पष्ट है कि मृतक माधोलाल पुत्र जगन्नाथ लुहार का एक मात्र वारीस उनका पुत्र कंवरलाल था और कंवरलाल के तीन जीवित वारीसान – भीमराज, पृथ्वीराज व गीता बाई है। भीमराज व गीताबाई द्वारा 50 रूपये स्टाम्प पेपर पर सहमतिनामा/राजीनामा दिनांक 22.12.2022 पेश किया गया। पेश उक्त सहमतिनामा/राजीनामा के अनुसार वे अपने हिस्से की आराजी को स्वयं न लेकर अपने भाई/वादी पृथ्वीराज के पक्ष में समर्पित/त्याग कर कुल 1/8 हिस्से को वादी के खाते दर्ज करने का निवेदन किया है जिसे स्वीकार किया गया।

12. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर, मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों– ग्राम बैसार की विभिन्न जमाबंदीयां संवत 2003 से 2072, ग्राम पंचायत बेसार द्वारा जारी वारीसान प्रमाण पत्र दिनांक 19.02.2022 प्रदर्श–9, कंवरलाल पुत्र माधो जाति लुहार का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 24,

वादी के आधार कार्ड एवं साक्ष्य गवाहन पी.डब्ल्यू 1 से पी.डब्ल्यू 3 के सशपथ बयानों तहसीलदार खानपुर की वारीसान या वंशवृक्ष रिपोर्ट दिनांक 06.12.2022 आदि तथा न्यायिक दृष्टान्तो के परिपेक्ष्य में ग्राम बारापाटी तहसील अटरू की विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड को अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 एवं नियम 369, राजस्थान भू0 राजस्व (भू0अभिलेख) नियम 1957 दुरूस्त कर मूल सहखातेदार माधो पुत्र मथुरा लुहार निवासी बेसार की जगह माधो पुत्र जगन्नाथ जाति लुहार निवासी बेसार किये जाने और उक्त मृतक सहखातेदार माधो पुत्र जगन्नाथ लुहार के हिस्से पर वादी के खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद न्यायहित में आंशिकतः स्वीकार किये जाने योग्य है।

—:क्रियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर, मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों तथा न्यायिक दृष्टान्तो के परिपेक्ष्य में वादी का आंशिकतः वाद स्वीकार किया जाता है। ग्राम व माल बारापाटी तहसील अटरू की कृषि आराजी मूल ख0नं0 118 रकबा 1.00 है0, ख0नं0 119 रकबा 0.87 है0, ख0नं0 120 रकबा 0.97 है0, ख0नं0 121 रकबा 2.11 है0, ख0नं0 243 रकबा 0.83 है0, ख0नं0 244 रकबा 0.99 है0, ख0नं0 245 रकबा 0.60 है0 व ख0नं0 246 रकबा 0.65 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 8.02 है0 में मूल सहखातेदार मृतक माधो पुत्र मथुरा जाति लुहार हिस्सा 1/8 का नाम दुरूस्त कर माधो पुत्र जगन्नाथ जाति लुहार निवासी बेसार हिस्सा 1/8 किया जाकर उनके वर्तमान वारीस वादी— पृथ्वीराज पुत्र कंवरलाल लुहार निवासी बेसार को उनके हिस्से की 1/8 भाग आराजी पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। प्रतिवादी क्रम 1 ता 10 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादी के हक की उक्त 1/8 हिस्सा आराजी पर से उसे बेदखल नहीं करें। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **12.01.2023** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 197/2020 **दायर दिनांकः 02.12.2020**

उनवान

1. पृथ्वीराज आयु 60 वर्ष पुत्र कंवरलाल जाति लुहार निवासी बेसार तहसील खानुपर जिला झालावाड (राजस्थान)।

वादी

बनाम

1. महेश कुमार पुत्र प्रेमनारायण जाति महाजन निवासी अकलेरा तहसील अकलेरा जिला झालावाड (राजस्थान) हालमुकाम बारां रोड खानपुर तहसील खानपुर जिला झालावाड (राजस्थान)।
2. केसरबाई पुत्री नारायण जाति धोबी निवासी नयागावं ठाकरान तहसील खानपुर जिला झालावाड राजस्थान।
3. छोटूलाल पुत्र देवीलाल जाति लोहार निवासी नयागावं ठाकरान तहसील खानपुर जिला झालावाड राजस्थान हालमुकाम कलालो की बगीची के पास खानपुर जिला झालावाड राजस्थान
4. छोटूलाल पुत्र नारायण जाति धोबी निवासी नयागाव ठाकरान तहसील खानपुर जिला झालावाड राजस्थान
5. देवलाल पुत्र भैरूलाल जाति भील निवासी नयागावं ठाकरान तहसील खानपुर जिला झालावाड (राजस्थान)
6. देवीबाई पुत्री भैरूलाल जाति भील निवासी नयांगाव ठाकरान
7. बदामबाई पत्नी भैरुलाल जाति भील निवासी नयागाव ठाकरान
8. बालीबाई पुत्री भैरूलाल जाति भील निवासी नयागाव ठाकरान
9. बिरधीलाल पुत्र नारायण जाति धोबी निवासी नयागाव ठाकरान
10. मांगीबाई पुत्री भैरूलाल जाति भील निवासी नयागांव ठाकरान तहसील खानपुर जिला झालावाड (राजस्थान)।
11. स्टेट आफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां।

प्रतिवादीगण

12. भीमराज पुत्र कंवरलाल जाति लुहार निवासी बेसार तहसील खानपुर जिला झालावाड (राज0)।

तरतीबा प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 183 आर. टी. एक्ट.

वाद बाबत घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :–

वादी :– विद्वान अभिभाषक श्री रामेश्वर प्रसाद गोयल

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। ग्राम व माल बारापाटी तहसील अटरू की कृषि आराजी मूल ख0नं0 118 रकबा 1.00 है0, ख0नं0 119 रकबा 0.87 है0, ख0नं0 120 रकबा 0.97 है0, ख0नं0 121 रकबा 2.11 है0, ख0नं0 243 रकबा 0.83 है0, ख0नं0 244 रकबा 0.99 है0, ख0नं0 245 रकबा 0.60 है0 व ख0नं0 246 रकबा 0.65 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 8.02 है0 में मूल सहखातेदार मृतक माधो पुत्र मथुरा जाति लुहार हिस्सा 1/8 का नाम दुरूस्त कर माधो पुत्र

जगन्नाथ जाति लुहार निवासी बेसार हिस्सा 1/8 किया जाकर उनके वर्तमान वारीस वादी– पृथ्वीराज पुत्र कंवरलाल लुहार निवासी बेसार को उनके हिस्से की 1/8 भाग आराजी पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। प्रतिवादी क्रम 1 ता 10 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादी के हक की उक्त 1/8 हिस्सा आराजी पर से उसे बेदखल नहीं करें। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 12.01..2023 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

“Adverting to the facts of the present case, it is to be noticed that in the instant case, the respondent/plaintiff has filed the suit essentially for cancellation of the sale deed executed by the petitioner/defendant on the ground that she is not holding any share in the disputed land, of course, while praying for the cancellation of the sale deed and injunction against the petitioner/defendant not to interfere with the petitioner's possession over the disputed land, the plaintiff has also claimed partition of the land by meets and bounds impleading the co- sharers as party to the suit the relief which could have been claimed by the petitioner by a filing a suit before the Revenue Court even independent of the relief for cancellation of the sale deed claimed as above. But on that account, the suit filed by the plaintiff against the petitioner/defendant for cancellation of the sale deed cannot be considered to be barred by virtue of provisions of Section 207 of the Act. In considered opinion of this Court, the plaint as framed discloses the cause of action against the petitioner/defendant in respect of the can- cellation of sale deed and for the injunction as prayed for an further, the relief for cancellation of the sale deed sought in the suit being the main relief, it has to be necessarily tried by the civil Court and cannot be treated to be exclusively

triable by the Revenue Court, as claimed on behalf of the petitioner/defendant."

In the case of Rukmani (supra), where the plaint was returned by the civil court for filing the same before the Revenue Court, this Court while dealing with a subject matter similar to the matter in hand and the issue as to in a suit for declaration and partition, the cancellation of the sale deed was ancillary relief or not held as under:-

“7. In the present case, the relief claimed in the suit is that the sale deed dated 4.7.85 may be cancelled on the ground that the land which has been transferred by way of this sale deed is an ancestral property, and therefore, the deceased-husband of the plaintiff, who was son of defendant-respondent-Shri Bhola had ½ share in it and the remaining ½ share belongs to Shri Bhola and after the death of her husband, the plaintiff has ½ share in it. It is an admitted fact that the whole of the disputed land is recorded in revenue record only in the name of de- fendant-Shri Bhola. It has been averred by the defendants that the land in dispute is not an ancestral property and, therefore, son of defendant had no right in the life time of his father and, therefore, plaintiff also has no right in it. Thus, the main question to be determined is that whether the land in dispute is an ancestral property and, therefore, the deceased-hus- band of the plaintiff had ½ share in it and was co-tenant alongwith his father the defendant- Shri Bhola. It is well established that in order to determine the true nature of the relief claimed in

a suit, the pith and substance and not the form in which the relief may be couched has to be considered. On considering the pleadings in the plaint in the present case carefully and applying the doctrine of pith and substance of the pleadings. I have come to the conclusion that the relief claimed in the suit really amounted to a relief for a declaration that the deceased-husband of the plaintiff and after his death the plaintiff has ½ share and is co-ten- ant in the land in question. The suit in the present case cannot be said to be one for mere avoidance of the sale deed dated 4.7.85 In my view unless a clear finding is given that the plaintiff is a co-tenant and has ½ share in the land in question, the sale deed in question can- not be cancelled. It cannot be said in the present case that unless the sale deed is cancelled, the revenue court cannot grant a declaration as to the share of the plaintiff in the land in question. As the plaintiff or her deceased-husband is not a recorded khatedar of the land in dispute, in my view, unless a revenue Court by way of a revenue suit declares under Section 88 of the Act that the deceased-husband of the plaintiff and after his death the plaintiff has ½ share or any other share and thus, is a co-tenant alongwith defendant-Shri Bhola in the land in dispute, the Civil Court cannot cancel the sale deed only on the prayer made by the plaintiff-appellant. It is well settled that a suit for cancellation of a deed affecting certain property can be brought by a person who cannot establish his title to the property so long as such deed is not cancelled. That would be so, in the case of a person, who was a party to the deed or was otherwise bound by it in law. It is also well settled that it is not necessary for

a third party to a deed i.e which is neither a party thereto nor is bound by it, to bring a suit for cancellation of the deed in question. In such a case it is not necessary for the plaintiff to get the sale deed cancelled in order to be entitled to the relief claimed by him. In the present case also the plaintiff or her husband is not a party to the sale deed in question, therefore, it is not necessary for the plaintiff to get it cancelled as she or her husband is not bound by it. If the substance of the pleadings and relief claimed by the plaintiff-appellant is considered in a right perspective, it is clear that the plaintiff by means of the present suit is seeking a relief of declaration in her favour that she is khatedar tenant/co- tenant of ½ share of the land in dispute alongwith the defendant. The land in dispute being an agricultural land, such decla- ration can be given only by a revenue court under the provisions of the Act. It cannot be dis- puted that a suit for declaration regarding an agricultural land is to be filed under Section 88 of the Act if a person claims to be tenant or a co-tenant in the agricultural land in dispute. Section 207 of the Act provides that all suits of the nature specified in the third schedule shall be heard and determined by a revenue court and no other court other than a revenue court shall take cognizance of any such suit. In Item 5 of the third schedule a suit for decla- ration under Section 88 of the Act has been mentioned. I am also of the view that if the revenue court passes a decree for declaration in favour of the plaintiff to the effect that she is khatedar-tenant or co-tenant of ½ or any other share in the land in dispute, that court is equally competent to grant a consequential relief to the effect

that the sale deed in question is void and ineffective to the extent of share of the plaintiff and it is not essential for the plaintiff to file a separate suit thereafter in a civil Court for getting the sale deed cancelled. I am also of the view that if the revenue court declares the plaintiff-co-tenant of the land in dispute, it is not necessary for her to get the sale deed cancelled as that would be automati- cally void and ineffective to the extent of share of the plaintiff."